कार्यालय –उपसंचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश दुर्ग (छ.ग.)

क्रमांक/ 169 /न.ग्रा.नि./09 दुर्ग दिनांक 15/ 01/09

प्रति,

श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल
अध्यक्ष–भिलाई अग्रसेन एज्यूकेशन सोसायटी
भिलाई–ई.डब्ल्यू एस क्र–206
वैशाली नगर भिलाई दुर्ग (छ0ग0)

विषयः– ग्राम धनोरा दुर्ग प.ह.न. –28 तह. व जिला दुर्ग की भूमि खसरा क्रमांक 655/1, 656/2 का रकबा 0.40 हेक्टेयर पर बी.एड. कॉलेज (शैक्षणिक भवन) की स्थापना हेतु अनापत्ति बाबत् ।

संदर्भः– आपका आवेदन कार्यालय में आवक दिनांक 5.01.2009

––––00––––

उपरोक्त विषयांतर्गत ग्राम धनोरा प.ह.न. 28 तह. व जिला दुर्ग की भूमि खसरा क्रमांक 655/1, 656/2 का रकबा 0.40 हेक्टेयर पर पर मानचित्र में दर्शाये ABCD अनुसार बी.एड. कॉलेज (शैक्षणिक भवन) की स्थापना हेतु निम्नलिखित शर्तो के आधार पर इस कार्यालय को आपत्ति नहीं है ।

1– इस अनुज्ञा से

(अ) छ.ग. भू–राजस्व संहिता 1959 की घारा 172.

(ब) छ.ग. ग्राम पंचायत अधिनियम के तहत कोई अनुमति/ अनुज्ञप्ति प्राप्त करना आवश्यक हो तो ऐसी अनुमति प्राप्त करना पूर्णतः अनिवार्य रहेगा ।

2– यह अनुज्ञा इस आधार पर दी जाती है कि भूमि पूर्णतः आवेदक/संस्था के स्वामित्व में है एवं स्वामित्व संबधी किसी प्रकार का विवाद नहीं है। भूमि स्वामित्व नहीं होने पर यह अनुज्ञा निरस्त मानी जावेगी । इस प्रकार शासकीय /अन्य भूमि पर किसी प्रकार के अतिक्रमण करने की स्थिति में आवेदक/संस्था स्वंय जिम्मेदार होगा ।

3– विषयांकित भूमि के सम्मुख मार्ग चौड़ाई 60 फीट नियमित रखते हुए मार्ग की मध्य से 30 फीट के पश्चात् भूखंड रेखा मानी जावेगी।

4– अन्य किसी अधिनियम/नियम के प्रावधानो के तहत किसी विभाग से अनुमति अनापत्ति प्राप्त करना हो तो स्थल पर विकास निर्माण से पूर्व वह भी प्राप्त की जावे।

5– भू–तल पर अधिकतम् निर्मित क्षेत्र 25 प्रतिशत भवन की उंचाई 12.5 फर्शी क्षेत्रानुपात 1.0 एवं मानचित्र में दर्शाये अनुसार सीमांत रखा जाना आवश्यक होगा।

6– वाहन खड़ी करने हेतु पार्किंग की व्यवस्था स्वंय की भूमि पर की जावे।

क्रमशः..2..पर

AGRASEN COLLEGE OF EDUCATION Director DHANORA DURG (C.G.)

Principal
Agrasen College of Education
Dhanora-Durg (C.G.)

7— मानचित्र में दर्शाये अनुसार भू—खण्ड के अन्तर्गत छोड़ी गई उपान्तीय खुली भूमि (मार्जिनल ओपन स्पेस) पर किसी प्रकार का निर्माण न किया जावें ।

8— स्थल पर विकास/ निर्माण कार्य से पूर्व भवन निर्माण अनुज्ञा ग्राम पंचायत धनोरा से प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

9— भवन के विकास में सर्विस का विकास कर जल—मल निकासी हेतु सैप्टीक टैंक अपनी भूमि में किया जावे । रेनवाटर हार्वेस्टिंग का प्रावधान रखा जाना उचित होगा।

10— मानचित्र में किसी प्रकार परिवर्तन /संशोधन मान्य नहीं होगा ।

11— छ.ग. भूमि विकास नियम 1984 के अन्तर्गत नियमानुसार स्थल पर अग्नि सुरक्षा उपायों का समुचित प्रबंध करना आवश्यक होगा।

12— किसी भी प्रकार भू—स्वामित्व संबंधी विवाद होने पर या गलत जानकारी देने अथवा न्यायालयीन वाद होने पर इस अनुज्ञा स्वीकृति से आरोपित शर्तो के उल्लंधन की दशा में यह अनुज्ञा छ0ग0 भूमि विकास नियम 1984 के नियम 25 के तहत प्रतिसंहित की जा सकेगी।

संलग्न—मानचित्र की एक प्रति ।

उप संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश
दुर्ग (छ.ग.)

क्रमांक/ /न.ग्रा.नि./09 दुर्ग दिनांक / /09

प्रतिलिपी —

अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) भूमि व्यपवर्तन कार्यालय दुर्ग को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सरपंच, ग्राम पंचायत धनोरा तह.व जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

संलग्न—मानचित्र की एक प्रति ।

उप संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश
दुर्ग (छ.ग.)

AGRASEN COLLEGE OF EDUCATION
Director
DHANORA-DURG (C.G.)

Scanned with OKEN Scanner

A3

कार्यालय ग्राम पंचायत, धनोरा

जनपद पंचायत – दुर्ग (छ.ग.)

क्रमांक ..... दिनांक : 30/12/08

प्रति,

अध्यक्ष

भिलाई अग्रसेन एजुकेशनल सोसायटी

भिलाई

विषय :- भवन निर्माण एवं भू परिवर्तन (डायवर्सन) की अनुमति हेतु।

आपके आवेदन पर विषयान्तर्गत ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 29/12/08 को पंचो द्वारा विचार किया गया। आपकी कृषि खसरा नं. 655/1 एवं 656/2 पर शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भूमि परिवर्तन एवं भवन निर्माण करने अनुमति बाबत ग्रामपंचायत के प्रस्ताव पारित किया गया है जिसकी छायाप्रतिलिपि संलग्न है। उक्त आधार पर विषयान्तर्गत अनुमति दी जाती है।

संलग्न – ग्रामपंचायत प्रस्ताव की छायाप्रतिलिपि

सरपंच
ग्राम पंचायत धनोरा
ज. प. दुर्ग

NOTARY – H.S. SAHU NOTARY DURG (C.G.) INDIA – R.N. CG 8/18/8/2/2004

ATTESTED PHOTO COPY

H. S. SAHU NOTARY DURG (C.G.)

6 JAN 2009

Principal
Agrasen College of Education
Dhanora-Durg (C.G.)

AGRASEN COLLEGE OF EDUCATION DHANORA-DURG (C.G.) Director

कार्यालय ग्राम पंचायत धनोरा विकास खण्ड दुर्ग

बैठक क्रमांक प्रस्ताव क्र० (8) जिला दुर्ग दिनांक [illegible]

बैठक के कार्यवाही की सत्यप्रतिलिपि

क्र.	उपस्थित पंचों के नाम	प्रस्ताव	की गई कार्यवाही का संक्षिप्त में विवरण	लिया गया निर्णय	पंचो
(1)	श्रीमति कुमारी बाई साहू सरपंच	प्रस्ताव क्र० (8)	उपस्थित पंचों को अग्रसेन एज्युकेशनल सोसायटी धनोरा से स्थित जमीन का विवरण मिलाई नं० 656/2, 655/1 प० ह० न० 39 के इस भूमि पर शैक्षणिक प्रयोजना हेतु भूमि परिवर्तन एवं उक्त भूमि पर भवन निर्माण एवं हास्टल निर्माण करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र देने हेतु प्राप्त आवेदन की जानकारी दी गई थी। तत्पश्चात पंचों ने निर्णय लिया कि, उक्त भूमि जिसका खसरा नं० 656/2, 655/1 प० ह० न० 39 रकबा लगभग 45000 (एक एकड़) की भूमि को शैक्षणिक प्रयोजना हेतु भूमि परिवर्तन किया जाता है एवं उक्त भूमि पर भवन निर्माण एवं हास्टल बनाया जाता है तो ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जावे। स्वीकृत की गई है।	प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया।	
(2)	श्री नारायण साहू पंच	[redacted]			
(3)	श्री कुवरसिंह				
(4)	श्री ताराचंद साहू				
(5)	श्री संतराम टंडन				
(6)	श्री संतोष साहू				
(7)	श्रीमति पुरईन बाई				
(8)	श्री हेमाबाई				
(9)	श्री बुधकुंवर बाई				
(10)	श्री [illegible]				
(11)	श्री शांतिबाई				
(12)	श्री [illegible]				

AGRASEN COLLEGE OF EDUCATION DURG (C.G.) Director

NOTARY K. SAHU DURG (C.G.)

ATTESTED PHOTO COPY H. S. [illegible] NOTARY

सचिव ग्राम पंचायत धनोरा

Principal
Agrasen College of Education
Dhanora-Durg (C.G.)

दूरभाष/ मोबाइल नं.